शिवपुरी जिले में वन पर आधारित उद्योग : एक अध्ययन

''शिवपुरी वन मण्डल वनसेवा एवं वनस्पति की दृष्टि से प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ प्राचीनकाल में सघन वन एवं वन्य प्राणियों की अधिकता पाई जाती थी। बढ़ते जन दबाब एवं बढ़ती हुई माँग से वन सम्पदा का विद्रोहन तीव्रगति से हुआ है जिसके कारण यहाँ विविध प्रकार के वन आधारित उद्योगों का विकास हुआ है।''

डॉ. विष्णु स्वरूप गोस्वामी

प्रस्तावना

शिवपुरी जिले के 33 प्रतिशत भू-भाग पर वन पाये जाते हैं जिनमें विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसका उपभोग क्षेत्र स्तरीय एवं औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। शिवपुरी जिला वृहद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ सामान्य तौर पर लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं पाई जाती है। यहाँ कत्था मिल के अतिरिक्त सिहारी एवं बाँस के बास्केट एवं टोकरी, बीड़ी बनाने, औषधि निर्माण, आरामिल एवं खराद का काम, फर्नीचर स्मार्ट, कृषि यंत्र निर्माण, पैकिंग केस एवं खिलौना, चमड़ा बनाने, पत्तल-दोना, रंगाई-छपाई एवं वनों के विविद बीजों से तेल निष्कर्षण उद्योग सीमित रूप में संचालित हैं। वन आधारित उद्योगों में शिवपुरी जिले की कार्यशील जनसंख्या का ६.७ प्रतिशत (३७५४) व्यक्ति संलग्न है।

१- कत्था उद्योग :

कत्थे का उपयोग पान में चूने के साथ मिलाकर किया जाता है। पान का प्रचलन यहां अधिक पाया जाता है। कत्थे का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। कत्था खैर के छोटे-छोटे टुकड़ों को पानी में उबालकर निकले हुये जमा पदार्थ को कहते हैं। यह ठंडा होने पर जम जाता है और क्रिस्टल बन जाते हैं। इस घोल के पानी को उड़ाकर कत्था एवं कुच अलग किया जाते हैं। कुच की मांग तेल निकालने की मशीनों, बोरिंग मशीनें, बायलरों, मछली पकड़ने एवं चमड़ा बनाने में रहती है। कत्था में शीतलता एवं पाचन दो प्रमुख गुण होते हैं। इसका उपयोग दवाईयों में अल्सर, फोड़ों तथा चमड़ी स्फुटन पर लगाया जाता है। वनस्पति तेलों में भी इसका उपयोग होता है। कत्था से विटामिन ''बी'' मिलता है जो मनुष्य के शरीर में स्टामिन, निर्माण को रोकता है और एलर्जी से मुकाबला करता है।

२- आरा एवं खराद उद्योग :

जिले के शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, खनियाधाना, नरवर, पिछोर, सतनवाड़ा, बैराड़, भटनावर, अमोला एवं दिनारा में लघु पैमाने एवं निजी आरा एवं खराद मिल स्थापित किये गये हैं। जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ नीम, महुआ, पीपल, सलई, बरघई, बबूल की मोटी लकड़ी से पटरे, भीम (स्लीपर) एवं डंडे तैयार किये जाते हैं। जिनका उपयोग फर्नीचर निर्माण एवं कृषि यंत्रों के

AIRO JOURNALS

निर्माण में किया जाता है। सीसम एवं सागवान की चिराई न्यूनतम मात्रा में की जाती है। वर्तमान युग में इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण जिले के अन्तर्गत एवं आरा एवं खराद मशीनों की संख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ २७ आरा एवं ११ खराद मशीनें संचालित हैं। यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर इनकी संख्या एवं चिराई व खरीदी गई लकड़ी की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है।

३- फर्नीचर उद्योग :

शिवपुरी जिले के बड़े गांवों एवं नगरों में फर्नीचर निर्माण हेतु लघु रूप में फर्नीचर उद्योगों का विकास हो रहा है। घरों को सजाने एवं दैनिक उपयोग हेतु फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। जिले के अन्तर्गत ५४ फर्नीचर लघु इकाई पाई जाती है जिनमें यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर इनकी संख्या में विविधता पाई जाती है।

४- पैकिंग केस एवं खिलौना निर्माण उद्योग :

पैकिंग केस एवं खिलौना उद्योग पूर्णतः लकड़ी पर आधारित है। यहाँ हल्दू, शालर, गुर्जन, सरस, बबूल, सलई एवं कैम से खिलौने एवं पैकिंग केस बनाये जाते हैं। जिले के अन्तर्गत दुग्ध उपोत्पाद एवं लघु वनोपज को बाहर भेजने हेतु लकड़ी के पैकिंग केस बनाये जाते हैं। यहाँ पैकिंग केस विशेषतः करैरा, शिवपुरी, कोलारस, सतनवाड़ा, पौहरी एवं पिछोर में आरा मशीनों से प्राप्त छोटे-छोटे पटरों से बनाये जाते हैं। यहाँ से पैकिंग केस झांसी एवं ग्वालियर को भी भेजे जाते हैं।

५- कोयला निर्माण उद्योग :

विगत वर्षों में लकड़ी का उत्पादन काफी मात्रा में होता था। जिन क्षेत्रों से लकड़ी लाने में अधिक कठिनाई होती है वहाँ पर परिवहन व्यय एवं बचत करने के उद्देश्य से कोयला बना दिया जाता था, उसे नगरीय क्षेत्रों एवं जिले से बाहर भेज दिया जाता था। यहाँ का कोयला उत्तमकोटि को होता था जिसकी माँग ग्वालियर व झांसी एवं दिल्ली में अधिक रहती थी। वर्तमान में बढ़ते मानवीय दबाब के कारण लकड़ी का अधिक शोषण किया जाने लगा। फलतः लकड़ी की कमी महसूस की जानी लगी जिसके कारण कोयला निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर चोरी छिपे कोयला बनाया जाता है एवं ३९ लोग लगे हुये हैं। वन आधारित उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या १ प्रतिशत है।

६- कृषि यंत्र उद्योग :

शिवपुरी जिले में कृषि परम्परागत तरीकों से की जा रही है अतः यहाँ वर्तमान में भी छोटे किसान लकड़ी के कृषि यंत्रों (हल, बखर, जुआ, पाटा, जैरी) एवं कृषि यंत्रों के हत्थे लकड़ी के बनाये जाते हैं। परिवहन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता है जिनका निर्माण भी क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। मगरौनी की बैलगाड़ी आज भी प्रसिद्ध है। लोहे के कृषि यंत्रों की वृद्धि के साथ उनमें हत्थे लकड़ी के ही लगाये जाते हैं। खुरपी, हसिया (कटाई, निदाई के यंत्र) एवं अन्य कृषि यंत्रों के प्लेटफार्म जैसे थ्रेसर, ट्रेक्टरों साइड, प्लेटफार्म लकड़ी के ही बनाये जाते हैं। जिले के अन्तर्गत परम्परागत तरीके

से कृषि यंत्र निर्माण का कार्य बढ़ईयों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में व्यवसायिक विघटनता के कारण कृषि यंत्र निर्माण का कार्य जाति विशेष पर निर्भर नहीं रहा है। इस कार्य को सभी वर्ग के लोग करने लगे हैं। वर्तमान में जिले के अन्तर्गत १९८ में इकाईयां कृषि यंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर इनके वितरण में भिन्नता पाई जाती है।

७- कागज एवं लुग्दी उद्योग :

वर्तमान में कागज का उपयोग किसी देश, प्रदेश एवं जिले के विकास का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि के उपभोग एवं माँग का सीधा संबंध देश प्रदेश की शैक्षणिक, साहित्य, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में शैक्षिक एवं साहित्यक दृष्टि से कागज की मांग एवं पूर्ति में असमानता पाई जाती है। बढ़ते मानवीय दबाब के कारण कागज की कीमतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

८- बीड़ी उद्योग :

तेन्दु पत्ते का उपयोग तम्बाकू लपेटकर बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेन्दु पत्ता यहां अधिकांश मात्रा में जिले की मिश्रित एवं कटीले वनों में पाया जाता है। यहां तेन्दु पत्ता सभी परिक्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन पिछोर एवं कोलारस, वन परिक्षेत्रों में इसका बाहुल्य है। पौहरी, करैरा, सतनवाड़ा एवं शिवपुरी में तेन्तु पत्ता सामान्य रूप में पाया जाता है। यहां वर्ष १९९६-९७ में १०६३१३ मानकबोरा, १९९७-९८ में १०४२५१, १९९८-९९ में ९५९३२, १९९९-२००० में ७६१३४ एवं वर्ष २०००-०१ में ९०७९७ मानकबोरा तेन्दु पत्ता का उत्पादन हुआ।

९- पर्यटन उद्योग :

वन प्राकृतिक सुशमा एवं सुन्दरता के मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इनमें वन्य प्राणियों की उपस्थिति इनको और अधिक आकर्षक और मनोहारी बना देती है। फलतः लोग इनकी सुन्दरता को देखने वर्वश चले आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से शिवपुरी जिला अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ग्वालियर स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहने के कारण विगत वर्षों से ही शिवपुरी जिले के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। मुख्य रूप से शिवपुरी जिला माधव राष्ट्रीय उद्यान, छत्री स्मारक, शिवपुरी महल, भदैया कुण्ड, भूराखो, जल मंदिर, नरवर किला एवं सौन चिरईया, अभ्यारण्य के लिये प्रसिद्ध रहा है। शिवपुरी जिले के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास हेतु अच्छी संभावनायें हैं। यहां के अन्दरूनी वन क्षेत्रों के कई कक्षों में प्राकृतिक वन सोभा, जल प्रपात, सघन वनों से आच्छादित घाटियां, किलकारी भरते, वन्य जीव एवं विचरण करते पक्षी और प्राचीन मंदिर एवं सोते पाये जाते हैं। जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अतः यह पर्यटन विकास की दृष्टि से उपयोगी हैं।

१०-अगरबत्ती एवं धूप उद्योग :

गूगल्ल (कुल्लू) गोंद से एक अच्छे प्रकार की धूप एवं अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। शिवपुरी वनमण्डल के अन्तर्गत कुल्लू के

वृक्ष मिलते हैं जिनसे कुल्लू गोंद एकत्रित कर एक अच्छे स्तर की अगरबत्ती एवं धूप बनाई जाती है। यहाँ कुल्लू गोंद एकत्रित करने का तरीका परम्परागत पाया जाता है जिसमें पौधे के तनों में सुराग एवं गड्डे बना दिये जाते हैं। जिनमें कुल्लू गोंद प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार के दोहन से वृक्ष नष्ट हो जाता है। इसी कारण शिवपुरी वन मण्डल के अन्तर्गत इसके दोहन को १९८१ से प्रतिबंधित बना दिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ सीमित मात्रा में अगरबत्ती एवं धूप बनाने वाली तीन इकाईयां कार्यरत हैं। जिसमें ११ व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है जो वन आधारित उद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों का 0.3 प्रतिशत है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि शिवपुरी जिले के अन्तर्गत प्रमुख रूप से कत्था, आरा एवं खराद, फर्नीचर, पैकिंग एवं खिलौना उद्योग पाये जाते हैं। यहां के कुटीर उद्योगों में बास्केट एवं बांस, सिहारी, डलिया, बीड़ी, दोना-पत्तल उद्योग सम्मिलित हैं। अन्य उद्योगों के अन्तर्गत पर्यटन, कागज लुगदी, अगरबत्ती, धूप, औषधि उद्योग आते हैं। यहाँ उद्योगों का विकास सीमित मात्रा में हुआ है। जिसका प्रमुख कारण जनदबाब है। परिवहन साधनों की कमी के कारण भी इनका विकास नहीं हो सका। गुना-इटावा रेल लाईन से इस क्षेत्र के जुड़ जाने के कारण वन आधारित उद्योगों के विकास की संभावनायें बढ़ी हैं।

संदर्भ :

१-वन मण्डल शिवपुरी कार्य योजना १९९८

२- माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रतिवेदन २००१